रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड—3 उप-खंड (i)
PART II—Section —3 Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 115] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 1997/फाल्गुन 28, 1918
No. 115] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 1997/PHALGUNA 28, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1997

सा. का. नि. 158 (अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (अस्थायी सेवा) (संशोधन) विनियम, 1977 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) (संशोधन) विनियम, 1997

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा-124 (1) और (2) के साथ पठित धारा-28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुरगांव पत्तन का न्यासी मंडल मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है यथा:—

1. (1) इन विनियमों को मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) (संशोधन) विनियम, 1997 कहा जाएगा ।

(2) ये उस तारीख से प्रभावी होंगे जिस तारीख को भारत के राजपत्र में केन्द्रीय सरकार की मंजूरी प्रकाशित की जाती है ।

2. मौजूदा विनियम-1 के उप-नियम (3) के खण्ड (4) को हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए:—

विनियम-1(3)(4) : वे व्यक्ति जो अतिरिक्त अस्थायी कामों में अथवा कार्य-प्रभारित काम में लगाए जाते हैं (अस्थायी तौर पर नियोजित व्यक्तियों से भिन्न और जिन्होंने पेंशन के लाभों के लिए विकल्प दिया है।)

3. मौजूदा विनियम-2 के खण्ड (4) और (5) को हटा दिया जाए ।

4. मौजूदा विनियम-3 और इसके तहत स्पष्टीकरण को हटा दिया जाए ।

5. मौजूदा विनियम-4 को हटा दिया जाए ।

6. विनियम-5 के मौजूदा शीर्षक के स्थान पर "अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति" शीर्षक रखा जाए और विनियम-5 के खण्ड (क) में "कर्मचारी की सेवा" और "किसी भी समय" शब्दों के बीच आने वाले शब्दों को हटा दिया जाए ।

7. विनियम-5 के खण्ड (ख) में आने वाले "जब तक कि अन्यथा नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त न हों" शब्दों को हटा दिया जाए ।

8. मौजूदा विनियम-5 के खण्ड (ख) के प्रथम परन्तुक को हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए :

"बशर्ते कि ऐसे किसी भी कर्मचारी की सेवा, उसकी सेवा समाप्ति से तत्काल पूर्व उसके द्वारा आदान उन्हीं दरों पर नोटिस की अवधि के लिए अथवा उस अवधि के लिए जिससे कि नोटिस की अवधि एक महीने से कम पड़ती है, जैसी भी स्थिति हो, उसके वेतन तथा भत्तों, बराबर की रकम का भुगतान का तत्काल समाप्त की जा सकती है ।"

9. विनियम-6 के उप-विनियम (1) के खण्ड (घ) के मौजूदा परन्तु के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए :

"बशर्ते कि सिवाय विशेष परिस्थितियों में, जिन्हें कि लिखित रूप में रिकार्ड किया जाएगा, तीन महीने की समाप्ति के बाद इस उप-खण्ड के अधीन कोई मामला फिर से नहीं उठाया जाएगा ।"

10. मौजूदा विनियम-7, 8 और 9 को हटाया जाए और मौजूदा शेष विनियमों को क्रमिक रूप में नई संख्या दी जाए ।

11. विनियम-10 के मौजूदा शीर्षक को हटाकर नया शीर्षक "शारीरिक अयोग्यता के आधार पर अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति ।" दिया जाए और मौजूदा विनियम-10 में "अस्थायी कर्मचारी की सेवा" और "शारीरिक रूप से अयोग्य" शब्दों के बीच आने वाले "जो स्थाईवत् नहीं हैं" शब्दों को हटा दिया जाए ।

12. विनियम-11 के मौजूदा उप-विनियम (1) को हटा कर इसके स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए:

विनियम-11 (1) : उप विनियम (1-ख) के उपबन्धों के अधीन अस्थायी कर्मचारी, जो अधिवार्षिता प्राप्त किया है अथवा जिसे सेवा से मुक्त किया गया है अथवा आगे की सेवा के लिए अमान्य घोषित किया गया है, निम्नलिखित दर पर ग्रेच्युटी के लिए पात्र होगा :—

(क) यदि निवृत्ति, मुक्ति, अमान्यता के समय उसके लगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी की हो तो पूरे किये गये प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने के वेतन का आधा;

(ख) यदि निवृत्ति, मुक्ति, अमान्यता के समय उसने दस वर्ष अनधिक सेवा पूरी की हो तो पूरे किये गये प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीना का वेतन, किन्तु अधिक-से-अधिक पन्द्रह महीनों का वेतन अथवा पन्द्रह हजार रुपये, जो भी कम हो ।

बशर्ते कि इस उप-विनियम के अधीन देय समाप्ति ग्रैच्युटी की रकम, उसकी लगातार अस्थायी सेवा की तारीख से यदि वह अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य होता तो भविष्य निधि में मंडल के अशंदान के बराबर की जिसे कर्मचारी प्राप्त किया होता उससे कम नहीं होगी, किन्तु शर्त यह होगी कि समान अंशदान उसके वेतन का 8.33 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(1-क): अस्थायी कर्मचारी, जिसे अनुशासनिक उपाय के रूप मे अनिवार्य रूप से सेवा से निवृत्त किया गया हो, उस मामले में उप-विनियम (1) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे, परंतु इस संशोधन के साथ लागू होंगे कि उसके मामले में देय ग्रैच्युटी की रकम की दर दो- तिहाई से कम नहीं होगा, किन्तु उप-विनियम के खण्ड (क) अथवा, जैसे भी स्थिति हो, खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दर से अधिक नहीं होगी।

(1 -ख) : यदि कर्मचारी अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर निवृत्त होता है अथवा दस वर्ष से अनधिक अस्थायी सेवा करने के बाद उचित चिकित्सा अधिकारी द्वारा मण्डल के तहत आगे और सेवा के लिए स्थायी रूप से आयोग्य ठहराया जाने पर अथवा 20 वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद लिखित रूप में तीन महीने की नोटिस देकर स्वैच्छिक रूप में सेवानिवृत्त होना चाहता हो, तो विनियम (1) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे और मुरगांव पत्तन कर्मचारी (पेन्शन और ग्रैच्युटी) विनियम, 1966 के उपबन्धों के अनुसार—

(1) इस प्रकार के कर्मचारी अधिवार्षिता, अयोग्य अथवा निवृत्ति पेन्शन, जैसी भी स्थिति है, और निवृत्ति ग्रैच्युटी के लिए पात्र होंगे; और

(2) सेवा निवृत्ति के बाद यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य परिवार पेन्शन की मंजूरी के लिए पात्र होंगे।

12 विनियम-11 के उप-विनियम (2) को हटाया जाए और उप-विनियम (2), (3), (4), (5), और (6) के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जाए:

विनियम- 11 (2) :

सेवा में रहते किसी अस्थायी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार मुरगांव पत्तन कर्मचारी (पेन्शन और ग्रैच्युटी) विनियम, 1966 के तहत स्थायी कर्मचारियों पर लागू उन्हीं दरों और प्रावधानों के तहत परिवार पेन्शन और मृत्यु ग्रैच्युटी के लिए पात्र होगा।

विनियम -11 (3)

इस विनियम के तहत कर्मचारी को ग्रैच्युटी ग्राह्य नहीं होगी :—

(क) यदि उसने पद से त्यागपत्र दिया हो अथवा अनुशासनिक उपाय के रूप में उसे हटा दिया गया हो या सेवा से बर्खास्त किया गया हो;

(ख) अधिवार्षिता अथवा निवृत्ति पेन्शन पर निवृत्ति के बाद उसे फिर से नियुक्त किया गया हो।

बशर्ते कि अस्थायी कर्मचारी, जिसने पूर्व अनुमति के साथ सरकार द्वारा पूर्ण या मूलभूत स्वामित्व या नियंत्रण के किसी निगम या कंपनी में अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित निकाय में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए त्यागपत्र दिया हो तो उसे मण्डल के तहत उसके द्वारा

की गई सेवा के बाबत उप-विनियम (1) के अंतर्गत निर्धारित दर पर समाप्ति ग्रेच्युटी दी जाएगी।

बशर्ते कि अ-स्थायी कर्मचारी, जिसका किसी राज्य/केन्द्र सरकार के अधीन राज्य/केन्द्रीय सरकार के उपक्रम में, स्थानीय निकाय, महा पत्तन न्यास, स्वायत्त निकाय या इस प्रयोजन के लिए मण्डल द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संगठन में मण्डल की पूर्वानुमति से आमेलन किया गया हो तो स्वायत्त निकाय के अधीन पेन्शन के प्रयोजन के लिए मण्डल के अधीन की गई सेवा को गिनने का विकल्प होगा यदि उसमें प्रथम परंतुक के अंतर्गत समाप्ति ग्रेच्युटी आदान करने के बदले पेन्शन की योजना होती है।

विनिअम-11 (4) :

कर्मचारी, जिसने इस विनियम के तहत समाप्ति मृत्यु ग्रेच्युटी को प्राप्त किया है किसी अन्य ग्रेच्युटी अथवा पेन्शन के लाभों के लिए पात्र नहीं होगा।

विनियम-11 (5) :

कर्मचारी, जो मुरगांव पत्तन कर्मचारी (पेन्शन और ग्रेच्युटी) विनियम, 1966 के अंतर्गत नही आता है जिसे इस विनियम के अंतर्गत ग्रैच्युटी दी गई हो तो कोई अन्य ग्रैच्युटी या पेन्शन के लाभ देय नहीं होंगे।

विनियम-11 (6) :

इस विनियम के प्रयोजन के लिए:

(क) ग्रैच्युटी की गणना कर्मचारी की निवृत्ति से तत्काल से अथवा मृत्यु की तारीख को वह जो वेतन प्राप्त कर रहा था उसके आधार पर की जाएगी;

(ख) "वेतन" से अभिप्राय मूल नियम-9 (21) (ए) (1) में परिभाषित वेतन से है;

(ग) असाधारण छुट्टी यदि कोई संबंधित कर्मचारी ने ली हो तो इसे पूरी की गई सेवा की गणना के लिए उसी तरह हिसाब में लिया जाएगा जैसे कि मुरगांव पत्तन कर्मचारी (पेन्शन और ग्रैच्युटी) विनियम, 1966 समय-समय पर यथा संशोधित, के अंतर्गत पेन्शन और ग्रैच्युटी/मृत्यु ग्रैच्युटी की गणना के लिए हिसाब में लिया जाता है, और

(घ) 120 दिन से अनधिक अर्जित छुट्टी के दौरान अथवा प्रथम 120 दिनों के दौरान अथवा सेवा निवृत्ति की तारीख को समाप्त 120 दिनों से अधिक अर्जित छुट्टी के दौरान अर्जित वेतनवृद्धि, यद्यपि आदान नहीं किया गया हो समाप्ति/मृत्यु ग्रैच्युटी की गणना के प्रयोजन के लिए वेतन का भाग होगा।

13. मौजूदा विनियम-12 को हटा दिया जाए और शेष विनियमों को क्रमिक रूप में नई संख्या दी जाए।

[फा. सं. पी-आर-12016/27/95-पी.ई.-1]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:—मूल विनियमों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था देखें, सा. का. नि. सं. 958 (अ) दिनांक 01-07-1964 ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(PORTS WING)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 1997

G.S.R. 158 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the **Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Amendment Regulations, 1997** made by the Bord of Trustees for the Port of **Mormugao** and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 124 (1) and (2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the port of Mormugao hereby makes the following regulation further to amend the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulation, 1964, namely :—

(1) (i) These regulations may be called the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) (Amendment) Regulations, 1997.

(ii) They shall come into force with effect from the date of publication of Government sanction in the Gazette of India.

(2) Delete the existing Clause (iv) of Sub-Regulation (3) of Regulation 1 and substitute the same with the following:—

Regulation 1 (3) (iv): — Persons employed in extra temporary establishments or in work-charged establishments (other than the persons employed temporarily and who have opted for pensionary benefits).

(3) Delete the existing Clauses (iv) and (v) of Regulation 2.

(4) Delete the existing Regulation 3 and explanation thereunder:

(5) Delete the existing Regulation 4.

(6) Substitute the existing caption of Regulation 5 by the caption.

" TERMINATION OF EMPLOYEES IN TEMPORARY SERVICE" and delete the words appearing between the words "temporary employee" and "shall be liable" in Clause (a) of Regulaton 5.

(7) Delete the words appearing after the word "one month" in Clause (b) of Regulation 5.

(8) Delete the existing first proviso to clause (b) of Regulation 5 and substitute the same with the following:—

"Provided that the service of any such employee may be terminated forthwith by payment to him a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of notice at the same rates at which he was drawing them immediately before the termination of his service or as the case may be for the period by which such notice falls short of one month".

(9) Substitute the existing proviso to Clause (d) of Sub-Registration (1) of Regulation 6 by the following proviso:

"Provided that except in special circumstances, which should be recorded in writing, in no case shall be reopened under this sub-clause after the expiry of three months".

(10) Delete the existing Regulation 7,8 &9 and renumber the existing remaining Regulations in the serial order.

(11) Recaption the existing Regulation 10 as " TERMINATION OF SERVICES OF EMPLOYEES IN TEMPORARY SERVICE ON GROUND OF PHYSICAL UNFITNESS" and delete the words appearing between the words "temporary employee" and "may be terminated" in the existing Regulation 10.

(12) Delete the existing Sub-Regulation (1) of Regulation 11 and substitute by the following.

Regulation 11 (1): Subject to the provisions of Sub-regulation (1-B), a temporary employee who retired on superannuation or is discharged from service or is declared invalid for further service shall be eligible for gratuity at the rate of

(a) One half of a month's pay for each completed year of his service, if he had completed not less than five years continuous service at the time of retirement, discharge invalidment;

(b) One month's pay for each completed year of his service, subject to a maximum of fifteen months' pay or fifteen thousand rupees, whichever is less, if he had completed not less than ten years' continuous service at the time of retirement, discharge or invalidment.

Provided that the amount of terminal gratuity payable under this sub-regulation shall not be less than the amount which the employee would have got as a matching Board's contribution to the Provident Fund if he were a member of a Contributory Provident Fund Scheme from the date of his continuous temporary service subject to the condition that the matching contribution shall not exeeed $8^1/_3$ percent of his pay.

(1-A) In the case of a temporary employee who is compulsorily retired from service as a disciplinary measure, the provisions of sub-regulation (1) shall apply subject to the modification that the rate of gratuity payable in his case shall not be less than two-thirds of, but in no case exceeding, the rate specified in Clause (a) or, as the case may be Clause (b) of Sub-regulation (1).

(1-B) In the case of a temporary employee who retires from service on attaining the age of superannuation or on his being declared to be permanently incapacitated for further service under the Board by the appropriate medical authority, after he has rendered temporary service of not less than ten years or who has sought voluntary retire

ment by giving three months' notice in writing on completion of 20 years, provisions of sub-regulation (1) shall not apply and in accordance with the provisions of Mormugao Port Employees' (Pension & Gratuity) Regulations, 1966.

(i) such an employee shall be eligible for the grant of superannuation, invalid or retiring pension, as the case may be, and retirement gratuity; and

(ii) in the event of his death after retirement, the members of his family shall be eligible for the grant of family pension.

(12) Delete the sub-regulation (2) of Regulation 11 and introduce new sub-regulations (2), (3), (4), (5) & (6) as follows:

Regulation 11 (2) : In the event of death of a temporary employee while in service, his family shall be eligible for family pension and death gratuity at the same scale and under the same provisions as are applicable to permanent employees under the Mormugao Port Employees (Pension & Gratuity) Regulations, 1966.

Regulation 11 (3) : No gratuity shall be admissible under this Regulation to an employee :- -

(a) who resigns his post or who is removed or dismissed from service as a disciplinary measure;

(b) who is reemployed after retirement on superannuation or retiring pension.

Provided that a temporary employee who resigned from service to take up, with prior permission, an appointment under a corporation or company wholly or sub stantially owned or controlled by the Government or in or under a Body controlled or financed by Government shall be paid terminal gratuity at the rate prescribed under Sub-Regulation (1) in respect of the service renderd by him under the Board.

Provided further that a temporary employee who has been absorbed in a State /Central Government Public Sector undertaking of a State or Central Government, Local Body, Major Port Trust, Autonomous Body or any other organisation recognized by the Board for the purpose. with the permission of the Board, shall have an option to count the service renderd under the Board for the purpose of pension under the autonomous body if it has a pension scheme instead of drawing the terminal gratuity under the first proviso

Regulation 11 (4) : An employee, who has received terminal death gratuity under this regulation will cease to be eligible for any other gratuity or pensionary benefit.

Regulation 11 (5) : Where gratuity under this regulation is paid to or in respect of an employee who is not covered by Mormugao Port Employees' (Pension & Gratuity) Regulation, 1966, no other gratuity or pensionary benefit is payable

Regulation 11 (6) : For the purpose of this regulation

(a) gratuity shall be calculated on the basis of pay which the employee was receiving immediately before his retirement or on the date of his death;

(b) "pay" shall mean pay as defined in the Fundamental Rule 9 (21) (a) (i),

(c) period of extraordinary leave, if any, availed of by the employee concerned shall be taken into account for computing the completed service on the same basis as it is taken into account for the purpose of calculation of pension and retirement gratuity/death gratuity under the Mormugao Port Employees' (Ponsion & Gratuity) Regulation, 1966 as amended from time to time, and

(d) an increment earned during the currency of earned leave not exceeding 120 days or during the first 120 days or earned leave exceeding 120 days expiring on the date of retirement , though not actually drawn shall form part of the pay for purposes of calculating terminal/death gratuity .

(13) Delete the existing Regulation 12 and renumber the remaining regulations in serial order.

[F. No. P. R. -12016/27/95--PEI]

K. V. RAO, Jt. Secy.

FOOT NOTE :—

Principal regulations were published in the Gazette of India vide G. S. R. 958 (E) dt. 1-7-1964.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications Delhi-110054 — 1997